UPSP100001662016

Presented on : 07-01-2016
Registered on : 07-01-2016
Decided on : 09-05-2026
Duration : 10 years, 4 months, 2 days

न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द, सहारनपुर।

प्रदीप कुमार मिश्रा बनाम साजिद।
परिवाद सं.–865/2024
धारा–138 एन.आई.एक्ट
थाना नागल, जिला सहारनपुर।

दिनांक–09.05.2026

पत्रावली लोक अदालत पेश हुई। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। परिवादी प्रदीप कुमार मिश्रा के द्वारा प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त परिवाद में हम दोनों पक्षों का आपस में हमारे गांव के लोगों व रिश्तेदारों ने राजीनामा करा दिया है। अब हमारा कोई विवाद आपस में शेष नहीं रहा है और ना ही प्रथम पक्ष की द्वितीय पक्ष पर कोई लेनदारी शेष रही है। उक्त परिवाद के चलने से दोनों पक्षों के सम्बन्ध खराब होने का अन्देशा है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी द्वारा धारा–138 एन.आई.एक्ट हेतु विपक्षी साजिद के विरूद्ध वाद योजित किया गया था, परंतु वर्तमान में परिवादी व विपक्षी के मध्य समझौता हो गया है। परिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र(समझौतानामा) दाखिल कर कथन किया गया है कि उक्त परिवाद में हम दोनों पक्षों का आपस में हमारे गांव के लोगों व रिश्तेदारों ने राजीनामा करा दिया है। अब हमारा कोई विवाद आपस में शेष नहीं रहा है और ना ही प्रथम पक्ष की द्वितीय पक्ष पर कोई लेनदारी शेष रही है। इस बाबत परिवादी द्वारा न्यायालय समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान अंकित कर कथन किया गया है कि उक्त वाद में मैं परिवादी है। साजिद ने मुझे एक चैक दिया था उसके सम्बन्ध में मैंने यह मुकदमा मा. न्यायालय में दाखिल किया था अब साजिद ने मेरी धनराशि मुझे दे दी थी। अब साजिद के साथ मेरा कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं रहा है और न ही साजिद पर मेरी कोई लेनदारी बकाया है। परिवादी व विपक्षी आज न्यायालय समक्ष उपस्थित आये और सुलहनामा दाखिल किया। सुलहनामें पर पक्षकारों के फोटो चस्पा हैं। सुलहनामा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा तस्दीक किया गया है। अपराध अं.धारा 138 एन.आई.एक्ट धारा 147 एन.आई.एक्ट के अन्तर्गत शमनीय प्रकृति की है जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण को सुलह के आधार पर निस्तारित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परिवादी का सुलहनामा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी प्रदीप कुमार मिश्रा का सुलहनामा स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त साजिद को परिवाद सं.–865/2024 अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट थाना नागल जिला सहारनपुर में लगाये गये आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त के जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है तथा बन्धपत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(आशीषानन्द)
सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम.
देवबन्द, सहारनपुर।
जे.ओ. कोड यू.पी.3698